

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 363/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00283)

आम जनता मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर जरिये

1. शंकर सिंह राजपूत पुत्र स्व. हेमसिंह राजपूत
2. श्यामसिंह राजपूत पुत्र स्व. विजय सिंह राजपूत
3. मोहनलाल कुमावत पुत्र स्व. रतन लाल
4. राधाकृष्ण कुमावत पुत्र हनुमान लाल कुमावत
5. छोटूराम कुमावत पुत्र घीसाराम कुमावत
6. हनुमान कुमावत पुत्र घीसालाल कुमावत

समस्त निवासीयान मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

—अपीलान्टस

बनाम

1. नानू पुत्र बलदेव, कौम कुम्हार, निवासी मण्डाभीमसिंह, तह. किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह, पंचायत समिति जोबनेर, मु. सांभर, जिला जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर जिला जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व 1956 सपठित धारा 9 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय प्रार्थना पत्र संख्या 204/2016 उनवानी आम जनता मण्डाभीमसिंह बनाम नानू पुत्र बलदेव अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर निर्णय दिनांक 25.06.2018

उपस्थित—

1. श्री बी.एल. वर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.नं. 3 व 4 की ओर से
3. श्री संजय वर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से


निर्णय

दिनांक —05.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 25.06.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट 2 वगै. ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत ग्राम मण्डाभीमसिंह के आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा बारानी—2 एवं 276 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा भूमि के आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने निर्णय दिनांक 25.06.2018 से उपरोक्त प्रकरण में बिन्दु संख्या 1 से 11 तक में किये गये विवेचन के आधार पर प्रकरण की विवादित आराजी के सम्बन्ध में धारा 55 के तहत समर्पण की कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं होने, उक्त भूमि के कभी भी चारागाह नहीं रहने, जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण का वापस लौटा दिये जाने एवं नये सिरे से प्रस्ताव तैयार करने के दिये गये आदेश अनुक्रम में नये प्रस्ताव राजस्व विभाग तथा सम्बन्धित पंचायत द्वारा नहीं बनाये जाने के कारण, जिला कलक्टर के आदेश की कोई अपील नहीं होने, जिला कलक्टर के द्वारा प्रस्ताव को खारिज कर दिये जाने के कारण खातेदारों के द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष की गई प्रार्थना स्वीकार हो जाने, उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी आदेश से सम्बन्धित काश्तकारों से बकाया लगान लिया जाकर सीधे खातेदारी प्रदान करने के कारण, काश्तकारी अधिनियम की धारा 55 से 59 में दी गई व्यवस्थाओं के तहत पुनः खातेदारी अधिकार

प्राप्त हो जाने, नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही की प्रार्थना लागू नहीं होने, प्रार्थना पत्र मेरिट के आधार पर हीन एवं सार हीन होने एवं मियाद बाहर होने के कारण अस्वीकार किये जाने एवं सम्बन्धित तहसीलदार को इस तथ्य तथ्य से संतोषजनक विश्वास है कि अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नहीं है तथा ऐसा कब्जा पुनः प्राप्त कर लिये जाने के लिए समय बाधित हो गया है तो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 एवं अन्य सुसंगत विधान के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी के अवसान के लिए सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही किया जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 25.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त आम जनता मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर वगैरे द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक के आदेश क्रमांक: विविध (82) 779 दिनांक 26.08.1982 के द्वारा आवंटन कमेटी दिनांक 28.05.1975 के निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 08.09.1962 द्वारा सिवाय चक से खातेदारी नानू पुत्र बलदेव कौम मीणा सा. देह को पुनः दर्ज करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 25.06.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
 4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
 5. वकील अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा बरानी-2 एवं खसरा नम्बर 276 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा भूमि वाके ग्राम मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर की भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 08/09/1962 को नानू पुत्र बलदेव के प्रार्थना पत्र पर सिवाय चक अंकित की गयी थी जिसे 20 वर्ष बाद आदेश क्रमांक विविध (82)/779 दिनांक 26/08/1982 के अन्तर्गत नियमों के विपरीत वापिस काश्तकार के नाम अंकित किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जबकि नानू उर्फ बालू पुत्र बलदेव जाति कुम्हार के बजाय बालू वल्द बलदेव के नाम अंकित कर दी जबकि किसी भी व्यक्ति की भूमि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के अन्य व्यक्ति के नाम अंकित नहीं की जा सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि मण्डाभीमसिंह में कोई भी व्यक्ति नानू पुत्र बलदेव अथवा बालू पुत्र बलदेव के नाम जीवित नहीं है एवं किसी ने भी अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया। मौके पर इस भूमि पर वन विभाग द्वारा सघन वृक्षारोपण किया हुआ है एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के अन्तर्गत वन विभाग के भूमि अन्य उपयोग में नहीं आ सकती। उपरोक्त कार्यवाही के विरुद्ध आम जनता बनाम नानू वल्द बलदेव व अन्य के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र संख्या 204/2016 राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत उपरोक्त विधि विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं भूमि वापिस सिवाय चक अंकित किये जाने के लिये प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 25/06/2018 को निर्णय पारित किया जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ ने 34 वर्ष का असाधारण विलम्ब मानते हुए समर्पण की कार्यवाही को अस्वीकार करके आरटीए की धारा 63 के लिये सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही हेतु तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल को आदेश पारित किये। उपरोक्त मामले में जो आदेश दिनांक 25/06/2018 को पारित किये गये हैं उसकी प्रतिलिपि दिनांक 25/07/2018 को मिली है एवं इसकी जानकारी दिनांक 06/07/2018 को ही हुई है अतः दिनांक 06/07/2018 से 2 माह की अवधि में यानि 05/09/2018 तक यह अपील प्रस्तुत की जानी थी लेकिन अपीलान्त के माह सितम्बर में रामदेवरा एवं हरियाणा में धार्मिक यात्राओं में जाने के कारण यह अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की गई अतः इस अपील की प्रस्तुति में जो 1 माह करीब का जो विलम्ब हुआ है उसे न्याय हित में कण्डोन किया जावे जिसके लिये प्रार्थना पत्र देरी माफी इस अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
1. यह कि उपरोक्त आदेश को निम्न आधारों पर चुनौती दी जा रही है:-


बंशातीय जयबुक्त
जयपुर

- (अ) यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14 (4) के अन्तर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है एवं कोई भी व्यक्ति अवेधानिक कार्यवाही को इस प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसके अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है उसमें समय सीमा की कोई पाबन्दी नहीं है।
- (ब) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आरटीए की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश पारित किये गये हैं जिसका कोई विधिक कारण व प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है इसलिये उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
- (स) यह कि काश्तकार नानू वल्द बलदेव के स्थान पर बालू वल्द बलदेव के समर्पण की कार्यवाही को अधूरा मानते हुए जो आदेश दिये है वो निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि यह भूमि 1962 से लेकर 1982 तक एवं 1982 से लेकर आज तक कभी खेती के उपयोग व उपभोग में नहीं आयी एवं मौके पर वन विभाग द्वारा सघन वृक्षारोपण होने के कारण यह भूमि नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 08/09/1962 के अन्तर्गत समर्पित की जा चुकी थी एवं मौके पर कृषि उपयोग में नहीं आ रही थी फिर भी अधीनस्थ अदालत ने कृषि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत इस प्रकरण को न मानकर कानून एवं विधि विधान का उल्लंघन किया है इस कारण आदेश दिनांक 25/06/2018 अपास्त किये जाने योग्य है।
- (द) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25/06/2018 के पैरा 5 में यह स्वीकार किया है कि वन विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार उसके द्वारा क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य किया गया जो किराी भी रूप में यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि यह भूमि इस वाद की विवादित आराजी से सम्बन्ध स्थापित रखती है। इस बारे में आम जनता की ओर से सीपीसी के आदेश 26 रूल 9 के अन्तर्गत मौका रिपोर्ट का अनुरोध किया गया था एवं मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में मौजूद थी लेकिन मौका रिपोर्ट की अनदेखी करके हस्तगत आदेश विधि विधान एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में पारित निर्णय वर्ष 2004 के विरुद्ध तजबीज देकर राजकीय हितों की अनदेखी करके आदेश पारित किये हैं जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः यह प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25/06/2018 को अपास्त किया जाकर कृषि भूमि आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत खातेदारी से विलोपित की जाकर राज्य सरकार के नाम पुनः अंकित की जावे जिससे समर्पण के नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 08/09/1962 के अन्तर्गत यह भूमि सिवाय चक होकर वर्तमान वन विभाग के अन्तर्गत जो पेड़ पौधे लगाये गये हैं उनका पशुधन के हित में उपयोग हो सके।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 5 ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के लिए निर्धारित कार्यवाही पूर्ण नहीं है। भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। इस मामले में आसामी के द्वारा अपने कब्जा छोड़ने के लेखपत्र का हवाला नहीं दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट है आसामी द्वारा ऐसा कोई लेखपत्र लिखा गया था या नहीं एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी का आदेश किस सन्दर्भ में दिया गया है। यह भी कि धारा 56 के अनुसार कोई आसामी समर्पणकर्ता समर्पण करने से पहले भूमिधारी को धारा 55 के अन्तर्गत कोई भी समर्पण किये जाने से पहले, इस प्रकार समर्पण करने वाला आसामी अपने इस आशय का कि वह समर्पण करेगा, एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को एक माह से कम से कम 30 दिन पहले देगा। इस प्रकरण में समर्पण करने से पहले इस तरह का कोई नोटिस जारी किया गया है अथवा नहीं बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि धारा 55 के तहत के उद्देश्य के लिए धारा 56 के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रियात्मक विधिक कार्यवाही की पूर्ति की गई है या नहीं। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये अनुसार इस भूमि के समर्पण का

कब्जा लिया जाना अनिवार्य रहा है। इस प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें तथाकथित समर्पित भूमि का तहसीलदार द्वारा कब्जा लिया गया है अथवा नहीं। अभिभा 1क अप्रार्थीगण के द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के दो पत्र दिनांक 15.06.1966 तथा 02.11.1966 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के द्वारा जिलाधीश जयपुर के समक्ष एक मु.नं. ता रजु दिनांक 15.06.1966 प्रस्तुत किया जिसमे जिला कलक्टर के समक्ष ग्रामवासी उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि वे अपनी भूमि को चारागाह के लिए देने के लिए देने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्हें यदि दूसरी जमीन दे दी जावे तो वे इस जमीन को देने के लिए तैयार है। कलक्टर जयपुर के द्वारा इस स्थिति में असल कागजात वापस तहसील को लिखा गया कि यदि गांव वालो को इस जमीन की आवश्यकता है तो इन ग्रामवासियों को दूसरी भूमि का अलाट करने का प्रस्ताव पास करके फिर पत्रावली मारफत एस.डी.ओ. के माध्यम से उचित आदेश भेजने का आदेश दिया गया। साथ ही एक अन्य आदेश दिनांक 02.11.1966 के द्वारा तहसीलदार को पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया कि ग्राम मण्डाभीमसिंह पुरा में गोचर भूमि छुड़ाने के मामले में चारागाह घोषित करने की दरखास्त को नामंजूर कर दिया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में ना तो जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा चारागाह के लिए भूमि का समर्पण स्वीकार नहीं किया गया तथा ना ही उक्त भूमि को चारागाह ही घोषित किया गया था। इसके विपरीत ग्रामवासियों के अनुरोध पर उन्हें अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से नया प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। जिला कलक्टर के इन निर्देशों की पालना की गई थी या नहीं। इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही चारागाह के लिए तथाकथित रूप से सिवायचक भूमि को चारागाह घोषित किये जाने की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी चारागाह नहीं रही है। प्रार्थी पक्षकार के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रति-दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकरण में विवादित आराजी आराजी वर्तमान में भागीरथ वल्द पन्ना मीणा के नाम से खातेदारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा अपीलधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 पारित किया है जो उचित व विधिसम्मत है। अतः यह अपील अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र संख्या 38/2016 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल बनाम भागीरथ पुत्र पन्ना न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 28.06.2018 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। जिससे जाहिर है कि अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर नम्बर 270 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा बारानी-2 एवं 276 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा भूमि अनुसार नानू उर्फ बालू पुत्र बलदेव जाति कुम्हार के बजाय बालू वल्द बलदेव के नाम खातेदारी दर्ज रही है। खातेदारी को उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश दिनांक 03.05.1962 एवं तहसीलदार के आदेश क्रमांक 493/आर.ए. दिनांक 06.06.1962 के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 08.09.1962 द्वारा सिवायचक अंकित की गई। इस विवादित आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आवंटन कमेटी की दिनांक 28.05.1976 का सन्दर्भ अंकित करते हुए, जिसकी कि प्रोसिडिंग दिनांक 28.05.1976 को अंकित नहीं है, राजकीय उच्च प्राथमिक शाला मण्डा भीमसिंह को आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 471 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 472 रकबा

डेड बीघा परिवर्तन के अन्तर्गत आवंटित की गई थी एवं नानू उर्फ बालू वल्द बलदेव कुम्हार के बाबत कोई निर्णय नहीं हुआ था। जिससे जाहिर है कि एक बार भूमि के समर्पण किये जाने, भूमि का नामान्तरकरण सिवायचक अंकित हो जाने के 20 वर्ष बाद, 28.07.1976 को आवंटन सलाहकार समिति का सन्दर्भ अंकित करते हुए उपजिलाधीश का पत्र दिनांक 26.08.1982 बिना किसी प्रस्ताव एवं बिना किसी अधिकार बिना किसी जांच के पारित किया गया है। इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आवंटन कमेटी या उपजिलाधीश को नहीं है। भूमि गिदावरी वर्ष 2039 से 2070 तक बंजर दर्शाई गई है जिससे इस भूमि पर किसी का कब्जा काश्त नहीं होना स्पष्ट है। नानू उर्फ बालू वल्द बलदेव कुम्हार के बाबत कोई निर्णय नहीं हुआ था, के लिए उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 26.08.1982 का आदेश Ab-initio void and illegal है। नानू उर्फ बालू पुत्र बलदेव जाति कुम्हार के समर्पण किये जाने के बाद सिवायचक रहेगी। दिनांक 16.09.1962 के बाद उक्त भूमि पर खातेदारान द्वारा कोई काश्त नहीं की गई है। यह भूमि स्वेच्छा से सरेण्डर की जाकर चारागाह उपयोग के लिए छोड़ी गई थी। भूमि पर खेती नहीं होने तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु पशुधन की चराई के उपयोग में यह भूमि चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में बंजड अंकित है। राज. का तकारी अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत सरेण्डर की गई भूमि सिवायचक अंकित हो जाने के बाद पूर्व खातेदार को भूमि का पुनः आवंटन नहीं किया जा सकता है। 1970 के नियमों के नियम 11 के तहत अलाटमेन्ट हेतु पात्र व्यक्तियों को ही आवंटन किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी ने कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 13 के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के बिना की गई उपरोक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर आवंटन पात्र व्यक्तियों को की जानी चाहिए थी। सलाहकार समिति की राय के बिना की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकारीविहिन होने से निरस्त योग्य है। बिना कब्जे काश्त की विवादित भूमि के लिए वापिस किये जाने की कार्यवाही के लिए उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.1982 पूजीवनज एवं रनतपेकपबजपवद पससमहंस होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 से गत खातेदारान को पुनः आवंटन एवं प्रार्थना पत्र संख्या 204/2016 उनवानी आम जनता मण्डाभीमसिंह बनाम नानू न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.06.2018 निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश 26.08.1982 व उसके अन्तर्गत दर्ज व तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 08.09.1982 को निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 08.09.1982 के पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जावे।

(डॉ० आरूषी मलिक)

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।